



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-08102025-266783
CG-TL-E-08102025-266783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4447]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 4447]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकन्दराबाद, 7 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4575(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित के लिए, संलग्न अनुसूची में दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार भूमि, जो कि कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले की रायचूर तालुका के विच्चली एवं हनुमापुरा गाँव में (6 एकड़ 39 गुंता) क्षेत्रफल में स्थित है, स्तर क्रॉसिंग (LC) संख्या 209 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु आवश्यक है, इस प्रकार अधिग्रहण की अपनी मंशा की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर धारा 20D की उप-धारा (1) के तहत आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सहायक आयुक्त रायचूर, रायचूर जिला को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी तथा सहायक आयुक्त रायचूर, रायचूर जिला आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देंगे, या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

धारा 20(D) की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत भूमि की योजनाएँ और अन्य विवरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमि का विवरण: कर्नाटक राज्य में रायचूर जिले के रायचूर तालुका के बिचली और हनुमापुरा गांव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) नंबर 209 के बदले एक हद तक (6 एकड़ और 39 गुंटा) रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।

गाँव का नाम : बिच्छली			तालुका : रायचूर				जिला : रायचूर	
क्रम सं.	मंडल का नाम	गाँव का नाम	क्रम सं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि प्रकार (सरकारी/निजी)	भूमि की प्रकृति (सींचित/सूखी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायचूर	बिच्छली	1	190/1	01-14	0.54	निजी	सींचित एवं सूखी
2	रायचूर	बिच्छली	2	192	0-30	0.3	सरकारी	सूखी
3	रायचूर	बिच्छली	3	194/4	0-01	0.01	निजी	सूखी
4	रायचूर	बिच्छली	4	195	1-05	0.45	सरकारी	सूखी
5	रायचूर	बिच्छली	5	199	0-33	0.33	सरकारी & निजी	सूखी
6	रायचूर	बिच्छली	6	555	0-09	0.09	सरकारी	सूखी
7	रायचूर	बिच्छली	7	557	0-07	0.07	निजी	सूखी
8	रायचूर	बिच्छली	8	205/4	01-14	0.54	सरकारी	सूखी
9	रायचूर	बिच्छली	9	207/2/*	0-16	0.16	निजी	सूखी
				Total	06-09	2.49		

1	रायचूर	हनुमापुरा	1	23/2	0-09	0.09	निजी	सूखी
2	रायचूर	हनुमापुरा	2	23/3	0-12	0.12	सरकारी	सूखी
3	रायचूर	हनुमापुरा	3	23/4	0-09	0.09	निजी	सूखी
				Total	0-30	0.30		

[फा. सं. W.con/RSP/Gazette /20A/LC.209/GY-WADI/GSU/GTL]

बी राम कृष्ण, सीपीएम/ जीएसयू/ जीटीएल

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 7th October, 2025

S.O. 4575(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for

Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 209 to an extent (6 Acres and 39 Gunta) in Bicchali&Hanumapura Village of RaichurTaluka in Raichur District in the state of Karanataka, hereby declares its intention to acquire such land

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Assistant commissioner Raichur, Raichur District in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Assistant Commissioner Raichur, Raichur District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections

Any order made by the Competent Authority under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing (LC) No. 209 to an extent (6Acres and 39 Gunta) in Bicchali & Hanumapura Village of Raichur Taluka in Raichur District in the state of Karanataka

Name of Village : Bicchali			Taluka : Raichur			District : Raichur		
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Sl. No.	Survey No.	Extent area (in Acres) as per pahani	Extent area (in Hectar)	Type of land (Govt. /Pvt.)	Nature of land (Wet/Dry)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Raichur	Bicchali	1	190/1	01-14	0.54	Private	Wet & Dry
2	Raichur	Bicchali	2	192	0-30	0.3	Govt	Dry
3	Raichur	Bicchali	3	194/4	0-01	0.01	Private	Dry
4	Raichur	Bicchali	4	195	1-05	0.45	Govt	Dry
5	Raichur	Bicchali	5	199	0-33	0.33	Govt & Private	Dry
6	Raichur	Bicchali	6	555	0-09	0.09	Govt	Dry
7	Raichur	Bicchali	7	557	0-07	0.07	Private	Dry
8	Raichur	Bicchali	8	205/4	01-14	0.54	Govt	Dry
9	Raichur	Bicchali	9	207/2/*	0-16	0.16	Private	Dry
Total					06-09	2.49		

1	Raichur	Hanumapur	1	23/2	0-09	0.09	Private	Dry
2	Raichur	Hanumapur	2	23/3	0-12	0.12	Govt	Dry
3	Raichur	Hanumapur	3	23/4	0-09	0.09	Private	Dry
Total					0-30	0.30		

[F. No. W.con/RSP/Gazette /20A/LC.209/GY-WADI/GSU/GTL]

B RAMA KRISHNA, CPM/GSU/GTL